

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री वीरमाराम, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 697 / 2021

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. हनुमानराम पुत्र गोरधनराम
2. केहरी पत्नि गोरधनराम
जातियान जाट निवासी राणेरी
कमठाई तहसील सिणधरी

1. नारणाराम पुत्र घमण्डाराम
2. भैराराम पुत्र घमण्डाराम
3. मोहनराम पुत्र घमण्डाराम
4. रतनाराम नपुत्र घमण्डाराम
5. हुकमाराम पुत्र घमण्डाराम
6. किस्तुरी पत्नि खंगाराराम
7. रामाराम पुत्र पेमाराम
8. खेमाराम पुत्र गेनाराम
9. थानाराम पुत्र गेनाराम
10. विरधाराम पुत्र गेनाराम
11. कोहलाराम पुत्र हेमाराम
12. अणदूदेवी पुत्री मेहराराम
13. टीकूराम पुत्र मेहराराम
14. सिमरथाराम पुत्र मेहराराम
15. हरजीराम पुत्र मेहराराम
16. हिन्दुराराम पुत्र मेहराराम
17. नैनाराम पुत्र केसाराम
18. बाबूराम पुत्र केसाराम
19. पांचाराम पुत्र खेताराम
20. तेजाराम पुत्र खेताराम
जातियान जाट निवासी राणेरी,
कमठाई तहसील सिणधरी जिला
बाड़मेर
21. आदूराम पुत्र पांचाराम
22. पेमाराम पुत्र पांचाराम
23. सरदाराराम पुत्र पांचाराम
24. आम्बूदेवी पत्नि पांचाराम
25. ठाकराराम पुत्र खीमाराम
26. देराजराम पुत्र खीमाराम
27. पारसराम पुत्र खीमाराम
28. शांतिदेवी पत्नि खीमाराम
जातियान राईका निवासी राणेरी,
कमठाई तहसील सिणधरी जिला
29. समरथाराम पुत्र मगाराम
30. खूमाराम पुत्र मगाराम
31. पुरखाराम पुत्र मगाराम
32. प्रहलादराम पुत्र मगाराम
33. रूखमों पत्नि मगाराम


उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी



34. रिधूदेवी पत्नि पूनमाराम
35. कंवराराम पुत्र पूनमाराम
36. गेनाराम पुत्र पूनमाराम
37. हरजीराम पुत्र तुलसाराम
38. पीराराम पुत्र तुलसाराम
39. नन्दराम पुत्र कुंभाराम
40. मूलाराम पुत्र केहराराम
जातियान जाट निवासी सरेली की
ढाणी तहसील सिणधरी जिला
बाड़मेर
41. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते-विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति-

1. श्री जोगराज पोटलिया , अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी एकतरफा।

आदेश

दिनांक 24.11.2022

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत मौजा राणेरी पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 28, 31, 35, 41, 43, 65, 67 रकबा क्रमशः 1.7798 हैक्टेयर, 1.1569 हैक्टेयर, 2.1519 हैक्टेयर, 0.7766 हैक्टेयर, 0.1052 हैक्टेयर, 2.5241, हैक्टेयर, 1.9416 हैक्टेयर कुल रकबा 10.4361 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा राणेरी पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 28, 31, 35, 41, 43, 65, 67 रकबा क्रमशः 1.7798 हैक्टेयर, 1.1569 हैक्टेयर, 2.1519 हैक्टेयर, 0.7766 हैक्टेयर, 0.1052 हैक्टेयर, 2.5241, हैक्टेयर, 1.9416 हैक्टेयर कुल रकबा 10.4361 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।


3. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण के खेत मौजा राणेरी पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी के खेत

Handwritten signature and stamp:
अधिवक्ता
सिणधरी

खसरा संख्या 28, 31, 35, 41, 43, 65, 67 रकबा क्रमशः 1.7798 हैक्टेयर, 1.1569 हैक्टेयर, 2.1519 हैक्टेयर, 0.7766 हैक्टेयर, 0.1052 हैक्टेयर, 2.5241, हैक्टेयर, 1.9416 हैक्टेयर कुल रकबा 10.4361 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा राणेरी पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 28, 31, 35, 41, 43, 65, 67 रकबा क्रमशः 1.7798 हैक्टेयर, 1.1569 हैक्टेयर, 2.1519 हैक्टेयर, 0.7766 हैक्टेयर, 0.1052 हैक्टेयर, 2.5241, हैक्टेयर, 1.9416 हैक्टेयर कुल रकबा 10.4361 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।


4. हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा राणेरी पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 28, 31, 35, 41, 43, 65, 67 रकबा क्रमशः 1.7798 हैक्टेयर, 1.1569 हैक्टेयर, 2.1519 हैक्टेयर, 0.7766 हैक्टेयर, 0.1052 हैक्टेयर, 2.5241, हैक्टेयर, 1.9416 हैक्टेयर कुल रकबा 10.4361 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्ड सहखातेदा है, और रिकार्ड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है, इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती, तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा राणेरी पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 28, 31, 35, 41, 43, 65, 67 रकबा क्रमशः 1.7798 हैक्टेयर, 1.1569 हैक्टेयर, 2.1519 हैक्टेयर, 0.7766 हैक्टेयर, 0.1052 हैक्टेयर, 2.5241, हैक्टेयर, 1.9416 हैक्टेयर कुल रकबा 10.4361 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिशनर नियुक्त किया जाता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।


(वीरमारीम)

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

आदेश आज दिनांक 24-11-2022 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी